झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–784 वर्ष 2017

1. ब्रदर्श सिरिल लकड़ा, पे0–स्वर्गीय अलोइस लकड़ा, निवासी ग्राम एवं डाकघर–लाचरागाद, थाना–कौलिब्रा, जिला–सिमडेगा, पिन–835201, झारखण्ड।

2. ऑटेरेन डेमता, पत्नी–स्वर्गीय डोमनिक सुरीन, निवासी–रेलवे कॉलोनी, चाणक्य नगर, डाकघर एवं थाना–चुटिया, जिला–रांची, झारखण्ड।

3. रोसा बेक, पत्नी–स्वर्गीय फ्रांसिस स्टेफिन बेक, निवासी–315 शुक्ला कॉलोनी, इन्दिरा पथ, हिनू, डाकघर एवं थाना–डोरण्डा, जिला–रांची, झारखण्ड।

.... याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य

2. सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगरनाथपुर, जिला–रांची, झारखण्ड।

3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, परियोजना भवन, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगरनाथपुर, जिला–रांची, झारखण्ड।

4. जिला शिक्षा अधीक्षक, रांची, डाकघर–जी0पी0ओ0, थाना–कोतवाली, जिला–रांची, झारखण्ड।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री सी0 मुखर्जी, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– जी0पी0–I के जे0सी0

02/28.02.2017 कहा जाता है कि प्रतिवादी–सेंट अलॉयसियस मिडिल स्कूल, रांची की सेवाओं से शिक्षक के रूप में याचिकाकर्ता संख्या 1 दिनांक 28.02.2014 को, याचिकाकर्ता संख्या 2 दिनांक 30.09.2012 को और याचिकाकर्ता संख्या 3 दिनांक 31.01.2008 को सेवानिवृत्त हो गए। याचिकाकर्ताओं का तर्क यह है कि विचाराधीन स्कूल एक गैर–सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल है और स्कूल कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृति लाभों के भुगतान के लिए सभी खर्चों को राज्य सरकार द्वारा सरकारी खजाने से वित्त पोषित किया गया है। याचिकाकर्ताओं को महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी किया गया पेंशन भुगतान आदेश के आधार पर पेंशन भी मिल रही है।

2. वर्तमान रिट आवेदन में, याचिकाकर्ताओं की शिकायत उसके खिलाफ बकाया अर्जित अवकाश पर छुट्टी नकदीकरण राशि का भुगतान न करने के संबंध में है। उन्होनें यह भी कहा है कि अन्य पोस्ट रिटायरल बकाया का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदान सहायता से वेतन और सेवानिवृति के बाद लाभ का भुगतान किया गया है।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि हालांकि, याचिकाकर्ताओं के दावे का पहले प्रतिवादी–राज्य सरकार द्वारा विरोध किया गया था, लेकिन अब यह मुद्दा मरियम तिर्की बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–506/2013 और अन्य अनुरूप मामले जो 2014 (1) जे0बी0सी0जे0 465 में रिपोर्ट किए गए हैं, के मामले में इस न्यायालय की विद्वान खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय के मद्देनजर सुलझा लिया गया है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव टू अपील (सी) संख्या 20606–20607/2014 में

दिनांक 15.12.2014 को पारित निर्णय द्वारा बरकरार रखा गया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, विद्वान डिवीजन बेंच द्वारा पूर्वोक्त दिए गए निर्णय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई पुष्टि के मद्देनजर रिट याचिका का निपटारा उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ताओं को अर्जित अवकाश नकदीकरण राशि का भुगतान करने का निर्देश देकर किया जा सकता है।

4. उत्तरदाता–राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि गैर–सरकारी/सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल के शिक्षकों को अर्जित अवकाश नकदीकरण राशि की स्वीकार्यता से संबंधित पूर्वोक्त मुद्दा अब मरियम तिर्की (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किया गया है, द्वारा तय किया गया है।

5. पार्टियों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, ऐसी परिस्थितियों में, रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादी सं0 4 को यह निर्देश देकर किया जा रहा है कि वह याचिकाकर्ताओं को उनके संबंधित सेवा रिकॉर्ड की उचित जांच के बाद छुट्टी नकदीकरण राशि प्रदान करने के मामले में उनके अभ्यावेदन के साथ इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से दस सप्ताह की अवधि के भीतर और मरियम तिर्की (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय को देखते हुए निर्णय किया जाए।

6.. तद्नुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)